संख्या-45 /2024/687/12-5099/57/2024

प्रेषक,

डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक:: 09 जुलाई, 2024

विषय:-उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति-2024 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-नि०(5)/टी.ए./91/एग्रीटेक/कैबि०नोट/2024-25, दिनांक 21 जून, 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन यू.एस.डॉलर के लक्ष्य तक पहुचाने में कृषि क्षेत्र के एग्री-टेक सेवाओ की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल कृषि के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर 2025 तक कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 23% तक की वृद्धि हो सकती है।

2. एग्रीटेक का तात्पर्य यह है कि खेती और इससे जुड़े क्षेत्रों में कृषि के क्षेत्र के नयी तकनीकियों का उपयोग करके किसानो को किसी फसल विशेष की खेती के विभिन्न चरणों पर की जाने वाली उन्नत कृषि क्रियाओं की ससमय सटीक जानकारी प्रदान करना, जिससे कि खेती की लागत में कमी, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा किसान की आय में भी वृद्धि हो। एग्रीटेक सेवाओं में नई डिजिटल तकनीकी यथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.), मशीन लर्निंग (एम.एल.), ब्लॉक चेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई.ओ.टी.), भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.), ड्रोन, इमेज प्रोसेसिंग और रिमोट सेंसिंग-आधारित तकनीकों का उपयोग कर किसानो की दक्षता में सुधार तथा पर्यावरण पर प्रभाव डाले बिना प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाता है, इन एग्रीटेक सेवाओ का कृषि में उपयोग कर प्रदेश में पुनः कृषि क्रांति लाया जाना संभव है।

3. कृषि क्षेत्र में एग्रीटेक की महत्ता के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति-2024 का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया है।

4. एग्रीटेक नीति के अन्तर्गत प्रदेश में कृषि प्रौद्योगिकी नवाचारों को बढ़ावा दिया जा सके, कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देते हुए एग्रीटेक सेवाओ के प्रभावी उपयोग हेतु किसानों का क्षमतावर्धन एवं एग्रीटेक सेवा प्रदाताओ के लिए अनुकूल वातावरण का विकास किया जा सके। साथ ही किसानों को कृषि सम्बन्धी एग्रीटेक सेवाओ की उपलब्धता के लिए डाटा धारक से डाटा उपयोगकर्ता को डाटा प्रदाता के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

माध्यम से डाटा को सुरक्षित हस्तांतरण किया जा सकेगा एवं डाटा का उचित प्रबंधन संभव हो सकेगा। भारत सरकार की एग्रीस्टैक योजना के माध्यम से एकत्रित आंकड़ो को डाटा धारक की सहमति से एग्रीटेक कंपनियों से साझा किया जा सकेगा एवं किसानो को उनकी आवश्यकता के अनुरूप कृषि सम्बन्धी उचित सेवाएं ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5. एग्रीटेक को बढ़ावा देने में डाटा का महत्वपूर्ण स्थान है। अभी तक कृषि डाटा को मैन्युअल रूप से एकत्र किया जाता रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के नवीन प्रयासों से डिजिटल तकनीकियों के माध्यम से डाटा संग्रह करने की पहल शुरू की गई हैं। उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार की एग्रीस्टैक पहल के तहत डिजिटल फसल सर्वेक्षण के प्रारंभिक चरण को पूरा करते हुए कोर डिजिटल रजिस्ट्रियां यथा किसान रजिस्ट्री, फसल रजिस्ट्री, जिओ रिफेरंस भू-नक्सा रजिस्ट्री तैयार किया जा रहा है। इन रजिस्ट्रियों के साथ साथ अन्य रजिस्ट्रियां जो विकसित की जाएँगी, उनके बल्क डाटा के विभिन्न डाटाबेस के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है, ताकि एक मजबूत डाटाबेस बनाया जा सके, जिसका उपयोग किसानों के प्रयोग हेतु, निजी एग्रीटेक कंपनियों द्वारा अपने व्यवसायों के लिए और साथ ही सरकार द्वारा प्रभावी निर्णय लेने के लिए किया जा सके। विभिन्न हितधारकों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कभी-कभी व्यक्तिगत डेटा की आवश्यकता भी हो सकती है। डाटा (बल्क और व्यक्तिगत) को एक निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत (कृषि डेटा प्रबंधन) नियंत्रित किया जाना है और सहमति के कुशल प्रबंधन (सहमति प्रबंधन प्रणाली) के साथ एक सहज मंच (कृषि डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म) के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के लिए आसानी से सुलभ बनाया जाना है।

6. उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति के अंतर्गत प्रयुक्त विभिन्न शब्दों के अर्थ

i. बल्क डाटा का तात्पर्य कृषि से सम्बंधित फसलो के आच्छादन, उत्पादन, उत्पादकता, मौसम, मृदा-स्वास्थ्य, बाजार मूल्य, सिंचाई, भंडारण क्षमता, सरकारी योजनाएँ, आदि से सम्बन्धित डिजिटल आंकड़ों से है।

ii. व्यक्तिगत डाटा का तात्पर्य व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य डेमोग्राफिक जानकारी, भूमि, फसल, खेत, आय, आदि से सम्बन्धित डिजिटल आंकड़ों से है।

iii. डाटा धारक का तात्पर्य किसान/संस्थान/प्रतिष्ठान से है, जिसका डाटा खेती को उन्नत बनाने के लिए डाटा प्रदाता द्वारा संकलित किया जायेगा एवं डाटा उपयोगकर्ता द्वारा उसका उपयोग करके किसान को उपयोगी सुझाव दिया जायेगा।

iv. डाटा प्रदाता वह एजेंसी होगी, जो कि डाटा धारक का व्यक्तिगत एवं बल्क डाटा संकलित एवं संरक्षित करेगी।

v. डाटा उपयोगकर्ता का तात्पर्य किसी भी सरकारी अथवा निजी संस्थान से होगा, जो कि डाटा के आधार पर किसानों को कृषि उपयोगी जानकारी प्रदान करेगा।

vi. एग्रीटेक सैंडबॉक्स का तात्पर्य एक ऐसे प्लेटफॉर्म से है, जहाँ पर एग्रीटेक सम्बन्धी नई तकनीक का परीक्षण किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति – 2024

कृषि में डिजिटल सेवाओ के उपयोग को बढ़ावा देने एवं कृषि को बेहतर बनाने हेतु इस नीति को उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति – 2024 के नाम से जाना जायेगा, जो वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी।

8. कार्यक्षेत्र :-

उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति – 2024 का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा।

9. मिशन :-

कृषि क्षेत्र की दक्षता एवं सतत् विकास हेतु एग्रीटेक के सक्रिय उपयोग एवं अंगीकरण करना।

10. विजन :-

एग्रीटेक सेवाओं के लिए बुनियादी ढांचे के विकास एवं उपयोग हेतु राज्य में आत्मनिर्भर एग्रीटेक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना।

11. उद्देश्य :-

i. भारतीय कृषि प्रोद्योगिकी के उपयोग को सुगम बनाना।
ii. प्रदेश में कृषि क्षेत्र में एग्रीटेक के उपयोग से व्यापक बदलाव लाने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना।
iii. एग्रीटेक सेवा प्रदाताओ को प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में किसानो के लिए उपयोगी डिजिटल सेवाओ की स्थापना एवं परिचालन करने हेतु प्रोत्साहित करना।
iv. किसानों को एग्रीटेक सेवाओं के सक्रिय उपयोग के माध्यम से सशक्त बनाना।

12. लक्ष्य :-

i. अधिक से अधिक किसानो तक एग्रीटेक सेवाओ की पहुँच सुनिश्चित करना।
ii. कृषको में एग्रीटेक सेवाओ की समझ एवं उनके उपयोग हेतु क्षमतावर्धन करना।
iii. फसलो के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु एग्रीटेक सेवाओं का अधिक से अधिक किसानो द्वारा उपयोग सुनिश्चित करना।
iv. एग्रीटेक नीति के क्रियान्वयन से प्रदेश में अधिक से अधिक एग्रीटेक स्टार्टअप / कंपनियों को अपनी सेवाए संचालित करने हेतु प्रोत्साहित करना।
v. एग्रीटेक सेवाओं के उपयोग से सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक आदि की उपयोग दक्षता में वृद्धि कर कृषि लागत में कमी एवं उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करना।
vi. उपकार / कृषि विश्वविद्यालयों /कृषि विज्ञान केन्द्रो एवं अन्य अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से एग्रीटेक सैंडबॉक्स में नई एग्रीटेक तकनीकों के टेस्टिंग हेतु सुविधा प्रदान करना।

13. एग्रीटेक नीति के प्रमुख घटक :-

13.1 एग्रीटेक हेतु नीतिगत एवं तकनीकी ढांचा:-

कृषि सम्बन्धी उपयोगी एग्रीटेक सेवाएं कृषको को उपलब्ध कराने में विभिन्न प्रकार के हितधारको यथा डाटा धारक, डाटा प्रदाता एवं डाटा उपयोगकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ऐसे में विभिन्न हितधारकों, विशेषतः किसानों के हितों की रक्षा के लिए, सरकार द्वारा प्रासंगिक प्रोद्योगिकी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रणालियां एवं नीतिगत ढांचा विकसित किया जायेगा, जिसमें कृषि डाटा का विनिमय, कृषि डाटा का प्रबंधन और डाटा विनिमय हेतु सहमति प्रबंधन सम्मिलित होगा, जिसका विवरण निम्नवत है:-

13.1.1 कृषि डाटा विनिमय प्लेटफ़ॉर्म (एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज प्लेटफार्म):-

i. राज्य सरकार द्वारा कृषि डाटा एक्सचेंज के लिए एक डेडिकेटेड डाटा प्लेटफॉर्म विकसित किया जायेगा, जिससे कि डाटा धारक, डाटा प्रदाता एवं डाटा के उपयोगकर्ता के मध्य सुरक्षित डाटा विनिमय (एक्सचेंज) हेतु अनुकूल डिजिटल वातावरण मिले। इस डाटा प्लेटफॉर्म डाटा प्रदाता एवं उपयोगकर्ता के मध्य एक गेट वे के रूप में कार्य करेगा तथा इसके द्वारा केवल डाटा का विनिमय होगा, प्लेटफॉर्म पर डाटा संरक्षित नहीं होगा।

ii. प्रदेश में भारत सरकार की एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत तीन कोर रजिस्ट्री यथा किसान रजिस्ट्री, फसल रजिस्ट्री, जिओ रिफेरंस भू-नक्सा रजिस्ट्री तैयार हो रही है, इसके अतिरिक्त अन्य रजिस्ट्री भी तैयार किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त अन्य विभाग जैसे- पशुपालन, मत्स्य, उद्यान, रेशम, मंडी, पर्यावरण कृषि शिक्षा एवं शोध तथा जलवायु विभाग आदि क्षेत्र के भी डाटा बेस का उपयोग करने हेतु विभिन्न एग्रीटेक कंपनियों को राज्य सरकार के द्वारा विकसित डाटा प्लेटफॉर्म से सुरक्षित तरीके से डाटा धारक की सहमति के आधार पर डाटा प्रदाता के द्वारा इस शर्त के साथ उपलब्ध कराया जा सकेगा कि उपयोगकर्ता उक्त प्राप्त डाटा का प्रयोग निर्धारित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में प्रयोग नहीं करेगा, जिसका उपयोग एग्रीटेक कंपनियों द्वारा उस कृषक की आवश्यकता के अनुरूप सेवाएं उपलब्ध कराने में किया जायेगा। उपयोगकर्ता द्वारा इस डाटा को किसी अन्य के साथ साझा भी नहीं किया जायेगा।

iii. एग्रीटेक नीति के माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संकलित डाटा का विनिमय/एक्सचेंज भारत सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के अनुकूल कृषि डेटा एक्सचेंज को मानकीकृत करने के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल विकसित किये जायेंगे। नीति के अंतर्गत निर्धारित प्रोटोकॉल में दी गई व्यवस्था के अनुरूप डेटा धारक की सहमति प्राप्त करते हुए डाटा प्रदाता एवं उपयोगकर्ताओं के बीच डेटा का सुचारू रूप से आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाएगा।

iv. डाटा एक्सचेंज हेतु विकसित डाटा प्लेटफॉर्म के माध्यम से निम्नलिखित कार्यवाहियों में मदद मिलेगी :-

क. नवीन प्रौद्योगिकियों के उपयोग से डाटा प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना।
ख. व्यक्तिगत डेटा को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना।
ग. डेटा प्रदाताओं को डेटा साझा करने के लिए नियम, शर्तें एवं अवधि निर्दिष्ट करने में सक्षम बनाना, जिससे डाटा उपयोगकर्ता द्वारा डेटा का उपयोग किया जा सके।
घ. डेटा विनिमय से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता स्थापित करना।

13.1.2 कृषि डाटा प्रबंधन (एग्रीकल्चर डाटा मनेजमेंट) :

i. कृषि डाटा प्रबंधन के अंतर्गत, डाटा विनिमय हेतु सहमति प्राप्त करने, डाटा विनिमय बनाए रखने एवं रद्द करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ii. कृषि डाटा प्रबंधन में विभिन्न निर्धारित मानकीकृत तकनीकों के माध्यम से राष्ट्रीय डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकरण सुनिश्चित किया जायेगा।

iii. कृषि को बेहतर बनाने के लिए एकत्रित किये गए डाटा के सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा नेशनल डाटा शेयरिंग एवं एक्ससेसिबिलीटी पॉलिसी (एन.डी.एस.ए.पी.) नीति-2012 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के अनुरूप एक मजबूत ढांचा तैयार किया जायेगा, जिससे कि व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ कृषि डेटा को कुशलतापूर्वक एकत्र, संग्रहीत, संसाधित और प्रबंधित किया जायेगा एवं सभी हितधारकों के समग्र लाभ के लिए कृषि डेटा के प्रबंधन से संबंधित प्रक्रियाओं, जिम्मेदारियों, मानदंडों को सुव्यवस्थित किया जायेगा।

13.1.3 डाटा विनिमय हेतु सहमति – प्रबंधन (कंसेंट मनेजमेंट सिस्टम) :-

इसके अंतर्गत डाटा धारक को अपने डाटा को किसी डाटा उपयोगकर्ता को डाटा प्रदाता के माध्यम से दिए जाने की सहमति बनाए रखने एवं उसे रद्द करने की सुविधा प्रदान की जायेगी। यह सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा तंत्र विकसित किया जायेगा, जिससे डाटा उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराये गए डाटा के विवरण को डाटा धारक स्वयं देखने में सक्षम होगा। साथ ही यह गारंटी होगी की डाटा एन्क्रिप्टेड रूप में सुरक्षित तरीके से डाटा का विनिमय हो तथा डाटा विनिमय करने की सहमति निरस्त होने पर डाटा का विनिमय स्वतः बंद हो जाये।

13.2 एग्रीटेक सैंडबॉक्स :-

13.2.1 एग्रीटेक सैंडबॉक्स कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगा। यह न केवल नई तकनीकों के विकास और परीक्षण को सरल बनाएगा, बल्कि किसानों को आधुनिक और प्रभावी समाधान प्राप्त करने में भी मदद करेगा। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि, लागत में कमी और सतत् कृषि पद्धतियों को अपनाने में कृषकों को सहायता मिलेगी।

13.2.2 सैंडबॉक्स एग्रीटेक कंपनियो, स्टार्टअप्स, और डेवलपर्स को अपने कृषि सम्बन्धी नए उत्पादों, सेवाओं, और तकनीकों के परीक्षण हेतु एक मंच प्रदान करेगा, जहाँ से वह कृषको की वास्तविक समस्याओं की एग्रीटेक के माध्यम से किये जा रहे समाधान के प्रभाव का परीक्षण / मूल्यांकन कर सकते हैं।

13.2.3 सैंडबॉक्स के माध्यम से विभिन्न तकनीकों यथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए0आई0), इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आई0ओ0टी0), ब्लॉकचेन, स्टीरियोस्कोपी, आदि का उपयोग कर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के विभिन्न क्रिया-कलापों हेतु स्थानीय स्तर पर अनुकूलित सेवाएँ तैयार की जायेंगी। सैंडबॉक्स की स्थापना निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जायेगी :-

i. एग्रीटेक समाधान प्रदाताओं के लिए एक सत्यापन मंच प्रदान करना ताकि वे स्थानीय स्तर पर डाटा धारकों के साथ जुड़ सकें या सरकार के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) में काम कर सकें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ii. एग्रीटेक क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना की उनके मौजूदा समाधान से उपयोगकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

iii. स्टार्टअप्स को परीक्षण/सत्यापन हेतु सीमित डाटा प्रदान करना, जिससे वह अपने समाधान को कुछ सीमा शर्तों के साथ और नियंत्रित वातावरण में परीक्षण कर सकें।

13.2.4 सैंडबॉक्स कृषि संबधी विभिन्न सेवाओं यथा कीट प्रबंधन सहित कृषि सलाह, मृदा परीक्षण, गुणवत्ता परीक्षण, ड्रोन अनुप्रयोग, ट्रेसेबिलिटी आदि सेवाओं के परीक्षण एवं उपयोगिता को सत्यापित करेगा।

13.2.5 सैंडबॉक्स के माध्यम से विभिन्न तकनीकों यथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) और मशीन लर्निंग (एम.एल.) एप्लीकेशन, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी- आधारित एप्लीकेशन, ड्रोन, स्टीरियोस्कोपी और कंप्यूटर विज़न, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आई.ओ.टी.) आदि का उपयोग करके कृषि हेतु विभिन्न समाधानों को जांचने में सहयोग प्रदान करेगा।

14. क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन: -

14.1 राज्य सरकार नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी और मार्गदर्शन के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी, जिसके अंतर्गत एग्रीटेक परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) स्थापित किया जायेगा, जो कृषि विभाग के नियोजन अनुभाग के अधीन होगी। परियोजना प्रबंध इकाई कृषि / अन्य विभाग के अधिकारी / कार्मिको के माध्यम से अथवा आउट सोर्स के माध्यम से अथवा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा। यह परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.), नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।

14.2 एग्री टेक नीति को मण्डल एवं जनपद स्तर पर क्रियान्वयन हेतु मण्डल स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक एवं जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक नोडल अधिकारी होंगे।

14.3 नीति के अनुश्रवण के लिए दो-स्तरीय समिति होगी। एक समिति कृषि निदेशक, उ0प्र0 की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति होगी, जिसमे अन्य संबंधित विभागों और सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे, जो प्रतिमाह नीति के क्रियान्वयन हेतु पी.एम.यू. का मार्गदर्शन करेगी। दूसरी समिति अपर मुख्य सचिव (कृषि) की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय स्टियरिंग समिति होगी, जो रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति		
1	कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष
2	निदेशक, उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	निदेशक, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	निदेशक कृषि सांखिकीय एवं फसल बीमा	सदस्य
6	अपर कृषि निदेशक (प्रसार), उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।	सदस्य
7	अपर कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण), उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।	सदस्य
8	अपर कृषि निदेशक (तिलहन एवं दलहन), उ0प्र0, कृषि भवन,लखनऊ।	सदस्य
9	अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र), उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।	सदस्य
10	प्रभारी (आई0टी0 सेल), कृषि भवन, लखनऊ।	सदस्य
11	संयुक्त कृषि निदेशक (ब्यूरो), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
12	संयुक्त कृषि निदेशक (दलहन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
13	संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
14	संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन), कृषि भवन, लखनऊ।	सदस्य सचिव
15	अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य सदस्य।	सदस्य

राज्य स्तरीय स्टियरिंग समिति		
1	अपर मुख्य सचिव (कृषि), उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव(नियोजन), उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
3	प्रमुख सचिव/सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव (उद्यान), उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव (पशुपालन), उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव (मत्स्य), उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
8	आयुक्त, गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
9	महानिदेशक, उ0 प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश।	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10	निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश	सदस्य
11	राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उ०प्र०	सदस्य
12	निदेशक, कृषि सांखिकीय एवं फसल बीमा	सदस्य
13	निदेशक रेशम विभाग उ०प्र०	सदस्य
14	कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।	सदस्य सचिव
15	अपर कृषि निदेशक (प्रसार), उ0 प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।	सदस्य
16	प्रभारी (आई0टी0 सेल), कृषि भवन, लखनऊ।	सदस्य
17	संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन), कृषि भवन, लखनऊ।	सदस्य
18	संयुक्त कृषि निदेशक (ब्यूरो), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
19	राज्य सरकार द्वारा नामित कृषक उत्पादक संगठन(02 सदस्य)	सदस्य
20	उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य सदस्य	सदस्य

14.4 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.):- इस नीति के क्रियान्वयन में पी.पी.पी. मोड के माध्यम से निजी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें सरकार द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। इससे प्रदेश में कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और विस्तार हेतु अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित होगा। प्रत्येक इंटरवेंशन हेतु विशिष्ट पी.पी.पी. रूप-रेखाएँ विकसित की जाएंगी, जिसे स्टीयरिंग समिति के अनुमोदनोपरान्त लागू किया जाएगा। प्रदेश की पी.पी.पी. परियोजनाओं के संबंध में समय-समय पर निर्गत गाइडलाइन्स/शासनादेश **का अनुपालन सुनिश्चित** किया जायेगा।

14.5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:- इस नीति के क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए इंडीकेटर्स विकसित किये जायेंगे, जिसके आधार पर राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इस नीति के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रम का बेसलाइन, मिड-लाइन और एंड-लाइन मूल्यांकन थर्ड पार्टी के माध्यम से कराया जायेगा।

15. समावेशी एग्रीटेक के लिए प्रोत्साहन:- राज्य सरकार कृषि तकनीक प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए रू0 5 करोड़ का कोष स्थापित करेगी, जो कृषि में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए महिलाओं, युवाओं और छोटे किसानों के साथ काम करने की रणनीतिक योजना बनाना सम्भव हो सके। इस कोष का दावा महिलाओं, युवाओं और छोटे किसानों को सब्सिडी वाली एग्रीटेक सेवाएँ प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह / एफ.पी.ओ. आदि के साथ काम करने वाले

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्टार्ट-अप इस निधि का अतिरिक्त दावा कर सकेंगे, बशर्ते वे चिंहित किये गए सेगमेंट को सम्मिलित करने का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। सरकार इस समावेशी एग्रीटेक कोष के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगी।

16. हितधारकों का कौशल एवं ज्ञानवर्धन :-

16.1 प्रदेश में एग्रीटेक नीति के अंतर्गत किसानों, कृषि संगठनों और संबंधित हितधारकों के कौशल एवं ज्ञानवर्धन से एक सशक्त और सतत कृषि पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जायेगा।

16.2 एग्रीटेक हेतु विभिन्न हितधारको की क्षमता का विकास कर एग्रीटेक सेवाओं के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके लिए सरकार द्वारा किसानों के साथ विभागीय कार्मिको, अन्य हितधारको का भी क्षमतावर्धन किया जायेगा।

16.3 यह नीति समग्र विकास के लिये एग्रीटेक के क्षेत्र में महिलाओं, युवाओं और छोटे किसानों को सम्मिलित करने पर विशेष ध्यान देगी एवं ऐसे एग्रीटेक सेवा प्रदाताओं को विशेष प्रोत्साहन भी देगी।

16.4 सरकार राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित करने और एग्रीटेक के क्षेत्र में आजीविका के अवसर खोलने के लिए मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों/कृषि विश्विद्यालयों/केन्द्रीय संस्थानों/ कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से अल्पकालिक पाठ्यक्रम का संचालन किया जायेगा, जिससे कि किसानों को कृषि तकनीकी प्रभावी ढंग से उपलब्ध करायी जा सके।

16.5 स्वयं सहायता समूह भी कृषि तकनीक की डिलीवरी के लिए एक प्रभावी चैनल होंगे एवं सरकार द्वारा महिला एस.एच.जी सदस्यों को कृषि तकनीक सेवाओं पर अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन करने को प्राथमिकता प्रदान किया जायेगा।

17. एग्रीटेक प्रोत्साहन हेतु कान्फ्रेन्स / मीट :-

एग्रीटेक स्टार्ट-अप को प्रदेश में प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा नीति निर्माण कर एक अनुकूल वातावरण विकसित किया जायेगा। एग्रीटेक स्टार्ट-अप का वित्त पोषण करने के लिए 'उत्तर प्रदेश वेंचर कैपिटल मीट' और 'एग्रीटेक मीट' का भी आयोजन भी राज्य सरकार द्वारा कराया जायेगा।

18. वित्त पोषण :-

एग्रीटेक नीति के तहत के तहत 5 वर्षो में रु0 2165.25 लाख का व्यय आंकलित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

विवरण	टिप्पणी	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028- 29	Total
एग्रीटेक हेतु नीतिगत एवं तकनीकी ढांचा	कृषि डेटा एक्सचेंज की स्थापना - पांच वर्षों के लिए कृषि डेटा एक्सचेंज की स्थापना और रखरखाव के लिए धनराशि	500.00	50.00	50.00	50.00	50.00	700.00
एग्रीटेक सैंडबॉक्स	एग्रीटेक सैंडबॉक्स की स्थापना और संसाधनों के सत्यापन के लिए धनराशि की आवश्यकता; सैंडबॉक्स	50.00	50.00	30.00	20.00	10.00	160.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	प्लेटफॉर्म, परीक्षण वातावरण की स्थापना, मानव संसाधन के लिए धनराशि की आवश्यकता						
परियोजना प्रबंधन इकाई	01 टीम लीड और 03 टीम सदस्यों के साथ परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना करना	50.00	55.00	60.50	66.55	73.205	305.255
एग्रीटेक कान्फ्रेंस / मीट	एग्री टेक हितधारको हेतु	100.00	100.0	100.00	100.0	100.00	500.00
समावेशी एग्रीटेक फंड	महिलाओं, युवाओं और छोटे किसानों को एग्रीटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए निधि	100.00	100.0	100.00	100.0	100.00	500.00
	योग	**800.00**	**355.00**	**340.50**	**336.55**	**333.205**	**2165.255**

उपरोक्तानुसार धनराशि की व्यवस्था एवं आवशयकतानुसार आगामी वर्षो में राज्य सरकार द्वारा विशेष बजट का प्राविधान किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना/नीति का विभाग के अन्तर्गत संचालित किसी अन्य योजना/नीति से डुप्लीसिटी न हो तथा वित्तीय मितव्ययता के दृष्टिगत विभाग के अन्तर्गत पूर्व से संचालित अन्य योजनान्तर्गत गठित पी0एम0यू0 से योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जाए।

19. एग्री-टेक नीति के आउटकम :-

i. प्रदेश में कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार में वृद्धि होगी।
ii. कृषि क्षेत्र में एग्रीटेक सेवा प्रदाता / स्टार्टअप द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओ का कृषको को लाभ प्राप्त हो जायेगा।
iii. एग्रीटेक का उपयोग कर खेती को बेहतर बनाने में कृषक सक्षम हो जायेंगे।

कृपया **समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित** करते हुए तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन/वित्त/न्याय/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन/सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ०प्र० शासन।
3. निजी सचिव, मा० कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
6. निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।